

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक 4(4) आरडी/नरेगा/आईईसी/2009-107

जयपुर, दिनांक:-

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त राजस्थान।

9 OCT 2009

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत मीडिया के उपयोग के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नरेगा योजना से संबंधित कार्यों के प्रचार एवं प्रकाशन पर विशेष महत्व दिया जाना आवश्यक है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय के संबंध में जारी आदेशों में आईईसी गतिविधि भी अनुमत है। इस संबंध में कृपया निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जावे:-

- समाचार पत्रों में छपी खबरों पर तत्परता से जांच की जावे व की गई कार्यवाही जानकारी भी समाचार पत्रों/टीवी चैनलों के माध्यम से आम जनता को अवगत कराया जावे।
- भ्रष्टाचार में लिप्त प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर की गई कार्यवाही के साथ उजागर किया जावे।
- जिलो मे चल रहे कार्य एवं उपलब्धियों तथा सफलता की कहानियाँ मीडिया मे प्रकाशित की जावे।
- जिलो मे आयोजित की जाने वाली बैठकों में नरेगा से संबंधित निर्णयों की जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई जावे।
- इन समस्त कार्यों के लिए जिलो में उपलब्ध जन सम्पर्क अधिकारियों का उपयोग किया जावे।

उपयुक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

(राजेन्द्र भाणावत)  
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि:- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

परियोजना निदेशक, ईजीएस